न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 25/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रिंयाबडी		1रामेश्वरलाल पिता गणेशराम 2कैलाशचंद पिता गणेशराम जातियान कुमावत निवासीगण–थांवला तहसील रिंयाबडी। 3हरबंसल पुत्र बृजलाल जाति सहगल निवासी आनासागर लिंक रोड, अशोक मार्ग, अजमेर।

उपस्थिति–

1– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 12.03.20

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रिंयाबडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है कि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2202/1, 2202/2, 2202/4, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 675, 650, 661, 660, 678 कुल खसरा–67 कुल रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा भूमि "श्री मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह जमाबंदी संवत 2012 से 2015 के कॉलम सं. 5 में खुदकाश्त की भूमि दर्ज रही थी। उसके बाद मूर्ति मंदिर महादेवजी की भूमि में निम्न प्रकार परिवर्तन राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज हुए हैः–

1(1)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 658, 659, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2 कुल खसरा 57 कुल रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मंदिर महादेवजी मजकुर दर्ज है। कॉलम सं. 5 मे खसरा नं. 678 रकबा 317 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी पांचू पुत्र सालग कु. 51 संवत 2012 से 2016 पूसा, चुतरा कु. 32.10 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 हरिनाथ चेला प्रयागनाथ 2015, 2016 गोकल दरोगा 17.10, 2014, 2015, 2016 मोती कादर सांई 7, 2015, 2016 भागीरथ, बोदू भांबी 13 संवत 2012, 2013, 2016 दर्ज है।

1(2)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 218 तथा खतौनी संवत 2022 से 2025 के खाता सं. 218 खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200,

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर नागौर (राज.)

2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2203/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा किता–41 कुल रकबा 554 बीघा 01 बिस्वा भूमि की खातेदारी पीरनाथ चेला नवाबनाथ कौम जोगी साकिन देह के नाम दर्ज है। पीरनाथ के स्थान पर उक्त भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा. देह. थांवला के नाम स्वीकृत हुई। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय नागौर के आदेशानुसार खसरा नं. 658 मे से 01 बीघा व खसरा नं. 24 बीघा कुल रकबा 25 बीघा भूमि राजकीय खाते मे गै.मु. सडक के रूप मे दर्ज हुई। शेष 529 बीघा 01 बिस्वा भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा.देह. थांवला के नाम रही।

1(3)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2026 से 2029 के खाता सं. 489 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा 46 रकबा 539 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी जमाबंदी के कॉलम सं. 05 मे हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा. देह के नाम दर्ज है व जमाबंदी के कॉलम सं. 16 मे नामान्तरकरण सं. 646 दिनांक 08.06.1968 के द्वारा खसरा नं. 2197 रकबा 15 बीघा, खसरा नं. 678 रकबा 80 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2202/3 रकबा 05 बीघा का बनाये पीर हरनाथ से सोहनदास पुत्र चिमनदास के नाम म्यू. स्वीकार होने से रेकर्ड मे अमलदरामद किया गया कुल नं. रकबा 100 बीघा व नामान्तरकरण सं. 736 दिनांक 20.05.72 के अनुसार सोहनदास के खसरा नं. 2197 रकबा 15 बीघा व खसरा नं. 678 रकबा 80 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2202/3 रकबा 05 बीघा श्री सोहनलाल पुत्र शंकरलाल के नाम नामान्तरकरण दर्ज है व नामान्तरकरण सं. 739 दिनांक 28.05.72 खसरा नं. 1872 मे से 25 बीघा भूमि धूला पुत्र किशना के नाम दर्ज है व नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 28.05.72 खसरा नं. 678 मे से 25 बीघा उदा पुत्र पुसा कुम्हार के नाम दर्ज है।

1(4)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2030 से 2033 के खाता सं. 567 के खसरा नं. 678 मी. रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 5 मे सोहनलाल पुत्र शंकरलाल महाजन साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण सं. 919 से खसरा नं. 678 मे से 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि सोहनलाल के बजाय शंकरलाल पुत्र नारायण व गंगाविशन पुत्र पूसाराम डाकोत तथा इसी खसरा नं. 678/7 मे से 15 बीघा 03 बिस्वा भूमि का सोहनलाल के बजाय भागचंद पुत्र लालचंद व प्रकाशचंद पुत्र भागचंद ओसवाल के नाम दर्ज है।

1(5)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2034 से 2037 के खाता सं. 577 के खसरा नं. 678 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 5 मे शंकरलाल पुत्र नारायण, गंगाविशन पुत्र फूसाराम कौम डाकोत साकिन देह खातेदार दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण सं. 1037 के द्वारा पूरा खाता दी नागौर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक नागौर के हक मे रहन दर्ज हुआ।

1(6)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2037 से 2040 के खाता सं. 604 के खसरा

अपर कलक्टर, नागौर

नं. 678/09 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 04 मे शंकरलाल पुत्र नारायण, गंगाविशन पुत्र फूसाराम कौम डाकोत साकिन देह खातेदार दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण सं. 1037 के द्वारा पूरा खाता दी नागौर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक नागौर के हक मे रहन दर्ज हुआ। नामान्तकरण सं. 1252 के द्वारा शंकरलाल के हिस्से की भूमि रहन मुक्त हुई।

1(7)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2042 से 2045 के खाता सं. 612 के खसरा नं. 678/09 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 04 मे शंकरलाल पुत्र नारायण, गंगाविशन पुत्र फूसाराम कौम डाकोत साकिन देह खातेदार दर्ज है और गंगाविशन के हिस्से की भूमि दी नागौर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक नागौर के हक मे रहन दर्ज है।

1(8)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2046 से 2049 के खाता सं. 665 के खसरा नं. 678/09 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 04 मे शंकरलाल पुत्र नारायण, गंगाविशन पुत्र फूसाराम कौम डाकोत साकिन देह खातेदार दर्ज है और शंकरलाल के हिस्से की भूमि दी नागौर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक नागौर के हक मे रहन दर्ज है।

1(9)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2050 से 2053 के खाता सं. 671 के खसरा नं. 678/09 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 04 मे शंकरलाल पुत्र नारायण, गंगाविशन पुत्र फूसाराम कौम डाकोत साकिन देह खातेदार दर्ज है। शुद्वि पत्र सं. 03 के द्वारा भूमि रहन मुक्त की गई। जरिये नामान्तरकरण सं. 1725 दिनांक 08.09.94 से गंगाविशन की जगह राज्यवर्धन पुत्र वृन्दावन टण्डन, आनंदवर्धन पुत्र वृन्दावन टण्डन साबिन लाखन कोटडी अजमेर के नाम खातेदारी दर्ज हुई। नामा. सं. 1786 से शंकरलाल के स्थान पर गेन्दादेवी पुत्री शंकरलाल का नाम दर्ज हुआ।

1(10)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट 2054 से 2057 के खाता सं. 116 के खसरा नं. 678/09 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 04 मे गेन्दादेवी पुत्री शंकरलाल कौम डाकोत, राज्यवर्धन पुत्र वृन्दावन टण्डन, आनंदवर्धन पुत्र वृन्दावन टण्डन साकिन लाखन कोटडी अजमेर खातेदार दर्ज है। नामा. सं. 3148 से गेन्दादेवी के स्थान पर रामेश्वरलाल, कैलाशचन्द्र पिता गणेशराम कुमावत दर्ज हुआ। नामा. सं. 2181 दिनांक 26.01.01 से राज्यवर्धन, आनंदवर्धन पिता वृन्दावन टण्डन के स्थान पर हरबन्सल सहगल पुत्र बृजलाल सहगल निवासी 31 आनासागर लिंक रोड, अशोक मार्ग अजमेर खातेदार दर्ज हुआ।

1(11)कि जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2058 से 2061 के खाता सं. 742 के खसरा नं. 678/9 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मे रामेश्वरलाल, कैलाशचन्द्र, पिता गणेशराम कौम कुमावत, हरबंसल पुत्र बृजलाल कौम सहगल साकिन आनासागर, लिंक रोड, अशोक मार्ग अजमेर खातेदार है। जरिये शुद्वि पत्र सं. 04 दिनांक 11.07.2005 के द्वारा खसरा नं. 678/9 के स्थान पर 2526/678 दर्ज किया गया।

2उपरोक्त राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन से मूर्ति मंदिर महादेवजी थांवला की भूमि वर्तमान में रेफरेन्स प्रकरण में दर्ज गैरसायल पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिंग होने से उसकी भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं हो सकता है तथा जो भी ऊपर दर्शाया गया राजस्व रेकर्ड परिवर्तन हुआ है। वह मूर्ति मंदिर महादेव के अधिकारों के विरूद्व शून्य एवं प्रभावहीन है एवं आरंभ से शून्य है। इसलिये उपरोक्त

अपर कलेक्टर, नागौर

जमाबंदियों के अन्तरणों को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

3मंदिर मूर्ति की जमीन का बेचान हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है, जिसे तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4मंदिर मूर्ति की जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जावे।

5माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति महादेव के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त भूमि के उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए गलत परिवर्तन का अवैध करार दिलाया जाकर निरस्त करवाया जाकर ग्राम थांवला के खाता सं. 742 के खसरा नं. 678/9 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मे रामेश्वरलाल, कैलाशचन्द्र, पिता गणेशराम कौम कुमावत, हरबंसल पुत्र बृजलाल कौम सहगल साकिन आनासागर, लिंक रोड, अशोक मार्ग अजमेर खातेदार है। जरिये शुद्वि पत्र सं. 04 दिनांक 11.07.2005 के द्वारा खसरा नं. 678/9 के स्थान पर 2526/678 दर्ज किया गया। उक्त भूमि पुनः मूर्ति मंदिर महादेव थांवला के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला की संवत 2012 से 2015, 2026 से 2029, 2030 से 2033, 2034 से 2040, 2046 से 2049, 2050 से 2057 तक की फोटोप्रति, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम थांवला संवत 2058 से 2061 तक की तथा ग्राम थांवला के नामान्तरकरण सं. 736, 646, 919, 1725, 1786, 2148 तथा 2181 की फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि मौजा थांवला के खसरा नं. 678/9 भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जिसमें से वर्तमान में खसरा नं. 678/9 (शुद्वि पत्र से खसरा नं. 2511/678 किये गये है) अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज है, जो जमाबंदी 2058 से 2061 से सुस्पष्ट है। मूर्ति महादेवजी शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को

अपर कलेक्टर, नागौर

प्रदान नहीं किये जा सकते। अप्रार्थीगण का जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक दिये गये खातेदारी अधिकार कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रुप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावें।

(4) वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब पेश करते हुए बताया कि यह प्रकरण कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला बाबत पेश किया गया है, जिसमें उतरदाता के विरूद्ध खसरा नं. 678/9 रकबा 15.02 बीघा रामेश्वरलाल, कैलाशचन्द्र पिता गणेशराम कौम कुमावत, हरबंसल पुत्र बृजलाल कौम सहगल साकिन आनासागर लिंक रोड, अशोक मार्ग अजमेर के नाम दर्ज है, जरिये शुद्धि पत्र सं. 04 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं. 678/9 के स्थान पर 2526/678 दर्ज किया गया, के विरूद्व पेश किया गया है, जो कि विधि विरूद्व तरीके से पेश किया गया है। इसके संबंध में उतरदाता का यह जवाब है कि उक्त भूमि उतरदाता के पूर्वजों के नाम संवत 2016 से ही चलती आ रही है। उतरदाता ने उक्त भूमि पर काफी मात्रा में आर्थिक व शारीरिक श्रम कर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने लायक बनाने के लिये अथक परिश्रम किया है। लगभग 50 से 55 सालों से उतरदाता के पूर्वज व उतरदाता द्वारा काश्त के काबिल बनाने के लिये अत्यधिक श्रम खर्च करने के बाद में काश्त के उपयोग में उतरदाता के द्वारा ली जा रही है। अगर इतने सालों तक लगभग 50–60 सालों तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही उतरदाता के विरूद्व नहीं की गई थी, इस कारण अब यह प्रकरण मियाद बाहर भी है। इतना लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने का तहसीलदार थांवला को कोई अधिकार नही है। इस कारण रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

(5)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला संवत् 2012 से 2015 के अनुसार खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1, 898, 899, 900 भूमि श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ रा जातरा नाथ सा. देह दर्ज रही है। जिसमें ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के अनुसार खसरा नं. 678 रकबा 317.05 बीघा की खातेदारी पांचू पुत्र सालग, पूसा–चुतरा, हरीनाथ चेला प्रयागनाथ, गोकल दरोगा, मोती, कादर सांई, भागीरथ, बोदू भांबी के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी संवत 2026 से 2029 मे नामान्तरकरण सं. 646 के खसरा नं. 678 रकबा 80.05 बीघा भूमि पीर हरनाथ से सोहनदास पुत्र चीमनदास व नामान्तरकरण सं. 736 के सोहनदास के स्थान पर सोहनलाल पुत्र शंकरलाल के नाम दर्ज हुई। जो जमाबंदी संवत 2030 से 2033 के खाता सं. 567 के अनुसार खसरा नं. 678 मिन रकबा 30.05 बीघा भूमि नामान्तरकरण सं. 919 के द्वारा सोहनलाल के स्थान पर शंकरलाल पुत्र नारायण व गंगाविशन पुत्र पूसाराम डाकौत, खसरा नं. 678 रकबा 15.02 बीघा दर्ज हुई। जो जमाबंदी संवत 2034 से 2037, 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2046 से 2049 तक दर्ज रही है। जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता सं. 671 के खसरा नं. 678/9 रकबा 15.02 बीघा भूमि नामान्तरकरण सं. 1725 के द्वारा

अपर कलेक्टर, नागौर

गंगाविशन की जगह राज्यवर्धन व आनंदवर्धन तथा नामान्तरकरण सं. 1786 के द्वारा शंकरलाल के स्थान पर गेन्दा देवी के नाम अंकन हुआ। जो जमाबंदी संवत 2054 से 2057 मे नामान्तरकरण सं. 3148 से गेन्दा के स्थान पर रामेश्वरलाल, कैलाशचन्द अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा नामान्तरकरण सं. 2181 से राज्यवर्धन, आनंदवर्धन के स्थान पर हरबंस सहगल अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज हुई तथा संवत 2058 से 2061 की जमाबंदी मे खाता सं. 742 के द्वारा खसरा नं. 678/9 को जरिये शुद्वि पत्र सं. 4 दिनांक 11.07.05 के द्वारा खसरा नं. 2526/678 अंकन किया गया है। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नही किये जा सकते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम थांवला का नामान्तरकरण सं. 646, 736, 919, 1725, 1786, 3148, 2181 खारिज किया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला के खसरा नं. 678 रकबा 317.05 बीघा भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

(6)उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थांवला के खसरा नं. 678/9 रकबा 15.02 बीघा (शुद्वि पत्र से खसरा नं. 2526/678 किये गये है) भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2016–19 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा थांवला के खसरा नं. 678/9 रकबा 15.02 बीघा (शुद्वि पत्र से खसरा नं. 2526/678 किये गये है) अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत श्री मंदिर महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(7)आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर